X
96
1287

00225923

			2 वर्ष	1 वर्ष	हाल

			3 वर्ष	2 वर्ष	1 वर्ष	फाड़ित

(1) (2) (3)

Miscellaneous Receipt Book

ORIGINAL

Patna Regional Development Authority
(Dissolved)

No. 4503 Date 2.11.15

Received from Sri R. K. Jha

the sum of Rupees One only

On account of D.P.R.

Rs. 1/-

Cashier

Accountant

Account's Officer

Clerk-in-charge 2.11.15

Ex. Engineer

पटना नगर निगम

पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विशेष)

योजना प्रतिवेदन हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद

श्री/श्रीमती Ranjeet Kumar Jha से आवेदन प्रपत्र संख्या 2492

तिथि 29/5/14 प्राप्त किया ।

प्राधिकृत का हस्ताक्षर

तिथि : .....

नोट :- योजना प्रतिवेदन आवेदन प्रपत्र जमा करने के 15 कार्य दिवस के बाद प्राप्त करें ।

न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

JUDICIAL

बिहार BIHAR

E 745457

आपसी बँटवारा पत्र

यह बंटवारा दस्तावेज आज दिनांक - 14.08.2010 निम्नलिखित व्यक्तियों के बीच में बनाया जा रहा है ।

प्रथम पक्ष

श्री अनिल कुमार सिंह पिता का नाम स्व० रामेश्वर सिंह, निवासी मोहल्ला- सरिस्ताबाद राजपूताना टोला, थाना- गर्दनीबाग, जिला-पटना, भारतीय नागरिक । जो यहाँ प्रथम पक्ष के रूप में जाने एवं पहचाने जाते हैं ।

द्वितीय पक्ष

श्री विक्रम कुमार सिंह पिता का नाम श्री अनिल कुमार सिंह, निवासी मोहल्ला सरस्वतीबाद राजपुताना टोला, थाना- गर्दनीबाग, जिला-पटना, भारतीय नागरिक । जो यहाँ द्वितीय पक्ष के रूप में जाने एवं पहचाने जाते हैं ।

एवम् तृतीय पक्ष

श्री निशान्त कुमार सिंह, पिता का नाम श्री अनिल कुमार सिंह, निवासी मोहल्ला सरस्वतीबाद राजपुताना टोला, थाना- गर्दनीबाग, जिला-पटना, भारतीय नागरिक । जो यहाँ तृतीय पक्ष के रूप में जाने एवं पहचाने जाते हैं ।

लेखा सन्दर्भ

हकिकत यह है कि उपरोक्त सम्पति तीनों पक्ष की खानदानी एवं पैतृक सम्पति है जो सर्वे खतियान में लालधारी सिंह एवं भागवत सिंह का नाम दर्ज पाया गया हैं । कुछ वर्षों के बाद भागवत सिंह अपने पीछे तीन पुत्रगण (1) शम्भू नारायण सिंह, (2) रामेश्वर सिंह एवं (3) प्रभु नारायण सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये । उनके स्वर्गवास कर जाने के बाद उनके द्वारा छोड़े गये सभी चल अचल सम्पति के मालिक तीनों पुत्रगण हुए वो रहते चले आये । कुछ वर्षों के बाद सम्पति को रख रखाव को लेकर तीनों भाईयों में एक आपसी खानगी बंटवारा हुआ जिसमें

अपने अपने मिले हिस्से पर सभी फरिकैन काबिज दाखिल मालिक मुस्तकिल हुए वो रहते चले आये । कुछ वर्षो के बाद रामेश्वर सिंह अपने पीछे पाँच पुत्रगण (1) अशोक कुमार सिंह (2) तारकेश्वर सिंह (3) अनिल कुमार सिंह (4) जितेन्द्र कुमार सिंह एवं (5) महेन्द्र सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये । उनके स्वर्गवास कर जाने के बाद उनके द्वारा छोड़े गये सभी चल अचल सम्पति के मालिक पाँचों पुत्रगण हुए वो रहते चले आये । कुछ वर्षो के बाद सम्पति को रख रखाव को लेकर पाँचों भाईयों में एक आपसी खानगी बंटवारा हुआ जिसमें अपने-अपने मिले हिस्से पर सभी फरिकैन काबिज दाखिल मालिक मुस्तकिल हुए वो रहते चले आये। वो कुछ वर्षो के बाद सम्पति को रख रखाव को लेकर अनिल कुमार सिंह एवं अनिल कुमार सिंह के दो पुत्रगण (1) विक्रम कुमार सिंह एवं (2) निशान्त कुमार सिंह के बीच यह बंटवारा हो रहा है ।

लॉट नं0-1 श्री अनिल कुमार सिंह (प्रथम पक्ष) के हिस्से में मिला ।

श्री अनिल कुमार सिंह को हक जो हिस्सा में मिले सम्पति का विवरण इस प्रकार है :

हमगी वो तमामी गवाजी 5040 वर्गफीट लगभग एराजी हकियत कास्त रैयती कायमी मादी अवस्थित वाके मौजा- विशुनपुर पकड़ी, थाने थाना वो परगना फुलवारी शरीफ, हाल थाना- बेऊर,

सब वो सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला– पटना है जिसका तौजी नं०–5075, थाना नं० 31, खाता नं०– 57, वो खेसरा सर्वे पार्ट प्लॉट नं०– 277 का अंश है । भू–शुल्क संग्रह बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी अंचल कार्यालय फुलवारी शरीफ को 1.00 रूपया मात्र सालाना जमाबंदी नं० ..... के नाम से देय है । उपरोक्त एराजी पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) क्षेत्र के बाहर है जिसका चौहद्दी निम्नांलिखित है ।

चौहद्दी (प्लॉट 277 का)

उत्तर	:	15 फीट चौड़ा रास्ता
दक्षिण	:	श्री रामचरण गोप
पूरब	:	श्री महेन्द्र कुमार सिंह
पश्चिम	:	विक्रम कुमार सिंह

लॉट नं०-2 श्री विक्रम कुमार सिंह (द्वितीय पक्ष) के हिस्से में मिला ।

श्री विक्रम कुमार सिंह के हक वो हिस्सा में मिले सम्पति का विवरण इस प्रकार है :

हमगी वो तमामी मकाजी 14.02 डिसमील लगभग, एराजी हकियत कास्त रैयती कायमी नगदी अवस्थित वाके मौजा – विशुनपुर पकड़ी, सर्वे थाना नं० परगना – फुलवारी शरीफ, हाल थाना– बेऊर, सब वो सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला– पटना है जिसका तौजी नं०–5075, थाना नं० 31 है । भू–शुल्क संग्रह बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी अंचल कार्यालय फुलवारी शरीफ को 1.00 रूपया

मात्र आलाना जमाबंदी नं० ..... के नाम से देय है ।

उपरोक्त एराजी पटना क्षेत्रीय [illegible] प्राधिकार (विवर्धित) क्षेत्र के बाहर है जिसका खाता, प्लॉट, रकबा एवं चौहद्दी निम्नलिखित है ।

	तौजी नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
(1)	5075	184	353	7.75 डी०

चौहद्दी

उत्तर	:-	रास्ता
दक्षिण	:	अक्षय लाल
पूरब	:	अलंग
पश्चिम	:	हाल खरीदार दीगर

	तौजी नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (10.25 डी० जिसमें से)
(2)	5075	57	291	2.29 डी०

चौहद्दी

उत्तर	:	श्री महेन्द्र कुमार सिंह
दक्षिण	:	रास्ता
पूरब	:-	रास्ता
पश्चिम	:	श्री महेन्द्र कुमार सिंह

	तौजी नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
(3)	5075	184	371	8.5 डी०

चौहद्दी

उत्तर	:	आर० सी० गोप
दक्षिण	:	महेन्द्र सिंह
पूरब	:	शिवी लाल गोप
पश्चिम	:-	रवि शंकर

नोट :- प्लॉट 371 पकड़ी मोहाल में विक्रम कुमार सिंह एवं निशान्त कुमार सिंह का बराबर हिस्सा है ।

लॉट नं0 3 श्री निशान्त कुमार सिंह (तृतीय पक्ष) के हिस्से में मिला ।

श्री निशान्त कुमार सिंह के हक वो हिस्सा में मिले सम्पति का विवरण इस प्रकार है :

हंगगी तो तमामी रकबा जी 14.11 डिसमील लगभग एराजी हकियत कास्त रैयती कायमी नगदी अवस्थित वाके मौजा - विशुनपुर पकड़ी, सर्वे थाना वो परगना - फुलवारी शरीफ, हाल थाना- बेऊर, सब वो सदर रजिस्ट्री ऑफीस वो जिला- पटना है जिसका तौजी नं०- 5075, थाना नं०- 31 है । भू-शुल्क संग्रह बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी अंचल कार्यालय फुलवारी शरीफ को 1.00 रूपया मात्र सालाना जमाबंदी नं० ..... के नाम से देय है । उपरोक्त एराजी पटना विकास विकास प्राधिकार (विघटित) क्षेत्र के बाहर है जिसका खाता, प्लॉट, रकवा एवं चौहद्दी निम्नलिखित है ।

(1) तौजी नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
5075	184	291	4.59 डी०

चौहद्दी

उत्तर	:-	श्री रामचरण गोप
दक्षिण	:-	श्री महेन्द्र कुमार सिंह
पूरब	:-	10 फीट चौड़ा रास्ता
पश्चिम	:-	श्री रवि शंकर

(2) तौजी नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
5075	57	277	5.62 डी०

चौहद्दी

उत्तर	:	15 फीट रोड
दक्षिण	:	श्री महेन्द्र कुमार सिंह
पूरब	:-	35 फीट रोड
पश्चिम	:-	श्री महेन्द्र कुमार सिंह

(3) तौजी नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
5075	184	371	8.5 डी०

चौहद्दी

उत्तर	:-	आर० सी० गोप
दक्षिण	:	श्री महेन्द्र कुमार सिंह
पूरब	:-	रौदी लाल गोप
पश्चिम	:-	श्री रवि शंकर

नोट :- प्लॉट 371 पकड़ी मोहाल में विक्रम कुमार सिंह एवं निशान्त कुमार सिंह का बराबर हिस्सा है ।

यह कि इस तसदीक पर हस्ताक्षर के बाद तीनों पक्ष अपने अपने मिले सिडयूल के अनुसार दखल कब्जा में रहेंगें एवं अपने-अपने सुविधानुसार विकास कार्य वो निर्माण कार्य करेंगें एवं अपने-अपने नाम से बंधकाधिकारी एवं अन्य में नाम दर्ज करवायेगें एवं अपने अपने सुविधानुसार जहाँ-जहाँ समझें व्यवहार में लायेगें ।

यह कि अपने-अपने मिले हिस्से पर काबिज दाखिल रहेंगें एवं दूसरे के मिले हुए रिएस्यून में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगें । अगर ऐसा करेगें तो दूसरे फरिकैन कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगें एवं हर्जा खर्चा के साथ उनके तथा उनके वारिसान से वसूल पावेगें ।

अतएव सभी पक्ष स्वयं अपने-अपने तनम न तथा ज्ञान इन्द्रियों की स्वस्था अवस्था में अपने-अपने मानसिक संतुलन के साथ अपने-अपने हितैषियों एवं बाहरी कानूनी सलाहकारों से परामर्श लेकर बिना बाहरी अनुचित दबाव या प्रभाव वो धमकाव वो बहकाव तथा बल्कि अपने-अपने स्वेच्छा से यह बंटवारा पत्र लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे ।

गवाह का हस्ताक्षर :-

1. नीलम सिंह

2. अर्चना सिंह

अनिल कुमार सिंह
प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

Veekeem Kr. Singh
द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

Vishwanath Jha. Singh
तृतीय पक्ष का हस्ताक्षर

Vishwanath Jha. Singh 14/8/10

Veekeem Kr. Singh 14.08.10

...ai No. 17384

Book No. :- 1 Deed No. 16800

Serial No. 17384 ...VS. LAND LORD- ANIL KUMAR SINGH NISHANT KUM... BETWEEN GRIH VATIKA HOMES PVT LTD, PAKARI, AR... Deed No. 16800

Govt. of Bihar
District Registry Office ,Patna
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 14/05/2013 by Anil Kumar Singh
A stamp duty of Rs. 218500/- and other fees of Rs. 804/- has been paid in it.
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. 16800 in Book No. 1, Volume No. 366 on pages from 409 to 426 and has been preserved in total 18 pages in C.D. No. 57 / Year 2013

Date: 14/05/2013 Token No: 18038 /2013

Signature with Date
(Ashok Kumar Thakur)
Registering Officer, Patna

SCANNED

464
14.5

GRIH VATIKA HOMES PVT. LTD.

उन्नयन मनोबंध

(Development Agreement)

यह डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट आज दिनांक ..... को (1) श्री अनील कुमार सिंह वल्द स्व० रामेश्वर प्रसाद सिंह एवं (1) श्री निशांत कुमार सिंह वल्द श्री

District Registry Office, Patna

Book Number 18038 Reg. Year 2013 Serial Number 17384 Deed Number

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Lit
Executant	Anil Kumar Singh		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sig.*

Executant Nishant Kumar Singh

Sig. 14-5-13

dentified Mani Shankar

y

ig. 14/5/13

laimant Ranjit Kumar Jha

g. 14/5/13

esented Anil Kumar Singh

14/5/13

ZE Ver.3.0 Powered by InfoSystem and Solutions, Patna Biometric Captured By 2800sop001

अनिल कुमार सिंह दोनों निवासी- सरिस्तावाद, राजपुताना, थाना- गर्दनीबाग, जिला- पटना, जिन्हें आगे जमीन मालिक के नाम से सम्बोधित किया गया है। (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक हितबद्ध उत्तराधिकारी को शामिल करेंगे) जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

मेसर्स गृह वाटिका होम्स प्रा० लि०, निबंधन कार्यालय 26, ए.एन. पथ, बोरिंग रोड, जिला- पटना, जिसका निबंधन संख्या U70102BR2012PTC019642 है, द्वारा प्रबंध निदेशक *श्री रंजीत कुमार झा* वल्द श्री प्रेम कुमार झा, निवासी 584/ए, नेहरू नगर, रोड नं०- 6, पाटलीपुत्रा, पटना, जिला- पटना के माध्यम से सम्पादित किया जाता है जिन्हें आगे डेवेलपर/ विकासक के ~~नाम से सम्बोधित किया~~ गया है, जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि है जो इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित है, के बीच सम्पादित हुआ।

यह कि जमीन मालिक मौजा- विशुनपुर, सर्वे थाना- फुलवारीशरफ, सम्प्रति थाना- बेउर, जिला- पटना के थाना नं. 31 (इक्कतीस), तौजी नं. 5075 (पांच हजार पचहत्तर), खाता नं. 57 (संतावन), सर्वे प्लौट नं. 277 (दो सौ सत्तहतर), एराजी 6 कट्ठा 7 धुर पर स्वामी के रुप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रुप से शांतिपूर्वक दखल-कब्जे में है। जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख की अनुसूची- I में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है।

यह कि अनुसूची- I में वर्णित सम्पति प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी ने स्वत्व वाद संख्या- 270/ 2005 जिसमें श्री तारकेश्वर सिंह वगैरह वादी बनाम अशोक सिंह वगैरह वगैरह प्रतिवादी में माननीय सब जज-III पटना, के न्यायालय में दिये गये संधि-पत्र के अनुसार लेख्य सम्पत्ति सहित अन्य सम्पतियाँ प्राप्त की है और अपने हिस्से में मिली सम्पत्तियों पर प्रथम पक्ष अपने पुत्र श्री

GRIH VATIKA HOMES PVT. LTD.

निशांत कुमार सिंह के साथ स्वामी के रूप में निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक दखल कब्जे में रहते हुए सरकार को लगान भुगतान कर रसीद कटाते चले आ रहे है। इस प्रकार लेख्य संपति का अन्तरन एवं किसी भी प्रकार का करारनामा इत्यादि करने के लिए सक्षम हैं।

यह कि विकासक को जमीन मालिक ने अनुसूची 1 में वर्णित जमीन के संबंध में यह विश्वास दिलाया कि जमीन हर प्रकार से पाक-साफ एवं स्वत्व, दोष तथा ऋण भार से मुक्त है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, दोष या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक पर होगी और उसके चलते होने वाले हर्जा-खर्चा तथा क्षति-पूर्ति भुगतान करने का दायित्व जमीन मालिक को रहेगा।

यह कि उपर्युक्त दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची I में वर्णित जमीन पर एक बहु मंजिला इमारत का निर्माण निम्नलिखित शर्तो एवं बंधनों पर किया जाय:

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की सहमति से यह तय किया कि अनुसूची I की जमीन पर **पी.एम. सी.** से प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं प्लान स्वीकृत कराकर उसके अनुरुप बहु मंजिला इमारत बनाएंगे।

2. यह कि जमीन मालिक और द्वितीय पक्ष डेवलेपर के बीच इस संबंध में इस विलेख के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब डेवेलपर्स ने अंतिम रूप से यह निर्णय लिया है कि वे उक्त सम्पति को उन्नयन के लिए ग्रहण करेंगे और जमीन मालिक को आश्वासन दिया तथा आशवस्त किया है कि उक्त सम्पति का उन्नयन करने में किसी भी तरह से जमीन मालिक को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यह भी कि वे जमीन मालिक को किसी दूसरे व्यक्ति के दावे से उन्मुक्त रखते हुए क्षति होने की दशा में इस एकरारनामा के निष्पादन पर क्षतिपूर्ति करेंगे।

3. यह कि उभय पक्ष सहमत हुए कि द्वितीय पक्ष के डेवलपर वचनबद्ध करते हैं कि अनुसूची- I में वर्णित जमीन पर बहु-मंजिला इमारत की संरचना करेंगे।

4. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता ने यह भी तय किया कि भवन के अंतिम रुप से निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण शिखर पर terrace का व्यवहार उक्त इमारत के धारक तथा इमारत के स्वामियों द्वारा बनाये गए सदस्य ही करेंगे।

5. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता द्वारा यह भी तय किया गया कि **पी.एम.सी.** द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित निर्माणाधीन हिस्से में जमीन मालिक का 50 प्रतिशत एवं भवन निर्माता का 50 प्रतिशत तथा पार्किंग, फ्लैट का 50 प्रतिशत हिस्सा परम निर्मित क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, फ्लैट इत्यादि में होगा और जमीन मालिक का 50 प्रतिशत हिस्सा इस विलेख की अनुसूची- III में वर्णन के अनुरूप निर्मित होगा।

6. यह कि डेवलपर ने स्वीकार किया है कि भवन प्रथम कोटि का होगा और उन्नत इमारत में प्रयुक्त सभी सामान बिना मिलावट के और दीर्घ टिकाउ गुणवत्ता वाले लगाए जायेंगे।

7. यह कि उभय पक्षों के बीच परस्पर घोषणा और प्रतिनिधित्व के द्वारा बातचीत के फलस्वरुप डेवेलपर द्वारा उक्त जमीन के उन्नयन के लिए किया गया एकरारनामा शर्तों और बन्धंणों के साथ अंकित किया गया।

8. यह कि जमीन मालिक डेवेलपर को यह स्वीकृत करते है और डेवेलपर जमीन मालिक से उक्त जमीन को उन्नत करने का अधिकार स्वीकार करते है उन शर्तों और बन्धंणों पर जो इस एकरारनामा की अनुसूची- I में वर्णित है।

9. यह कि जमीन मालिक की सहमति और लिखित स्वीकृति से डेवेलपर उक्त जमीन पर बनाए जाने वाली इमारत कम्पलेक्स का नकशा, स्वरुप और (elevation) आकृति तैयार करने जिसमें किये जाने वाले कार्य का specification तथा प्रयोग किये जाने वाले सामानों जो प्रथम कोटि के होने चाहिए, के लिये एक वस्तुकार architect की नियुक्ति करेंगे। इस पर होने वाले सभी खर्च और architect को दिये

GRIH VATIKA HOMES PVT LTD

जानेवाला पारिश्रमिक (fees) डेवेलपर द्वारा दिया और वहन किया जायेगा। यह भी तय हुआ कि डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन कर अधिकतम अनुमान्य एफ.ए.आर सुनिश्चित करेंगे और तदनुसार उन्नयन योजना बनायी जाएगी और भवन स्वीकृति प्राधिकार अर्थात् **पी.एम.सी.** को भेजी जाएगी।

10. यह कि जमीन मालिक यह भी सहमत है कि डेवेलपर उक्त वास्तुकार (architect) द्वारा निर्मित प्लान **पी.एम.सी.** और कोई अन्य प्राधिकारों अगर हो, को विकासक अपने हस्ताक्षर से अपनी ओर से जमा कर देंगे और भवन प्लान की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। उपर्युक्त कार्य से संबंधित खर्च का भुगतान डेवेलपर करेंगे।

11. यह कि इस मनोवंध के निष्पादन के बाद जमीन मालिक डेवेलपर को उनके कर्मचारियों, अभिकर्ताओं, कारीगरों, अभियंताओं एवं मजदूरों को उक्त सम्पति में प्रवेश करने की अनुमति देंगे, जिससे वे विभिन्न विकास- पूर्व कार्य यथा नक्शा और योजना का निर्माण जैसे कार्य कर सकें। वैसे विकास कार्य की सुविधाओं की अनुमति डेवेलपर द्वारा **पी.एम.सी.** और अन्य प्राधिकारों से भवन निर्माण योजना की स्वीकृति के बाद दी जाएगी।

12. यह कि प्राकृतिक विपदा और डेवेलपर की शक्ति के नियंत्रण के बाहर के कारणों को छोड़कर जिससे उक्त सम्पति और निर्माण कार्य प्रभावित हो, भवन निर्माण की समय सीमा **3 वर्ष 6 माह** की होगी और उसके बाद कार्य पूर्ण करने का **छह** महीने का आकस्मीक कारणों का कृपा काल होगा। भवन निर्माण की कुल समय सीमा कृपा काल सहित **4 वर्ष पी.एम.सी.** द्वारा एग्रीमेन्ट तिथि से गिनी जाएगी।

13. यह कि मालिक सहमत है और वचनवद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) एवं 5 (2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों को पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरुप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक एवं

GRIH VATIKA HOMES PVT LTD.

भू-स्वामी अपने-अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने-अपने हिस्से को पृथक् रुप से बेचने/अन्तरण या किराया लगाने करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकुल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का अर्थात 50 प्रतिशत पर ही क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे। जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा।

14. यह कि उक्त जमीन पर सम्पूर्ण इमारत कम्पलेक्स तथा उन्नयन कार्य पूर्ण होने पर डेवेलपर विक्री योग्य निर्मित इमारत के प्रमुख क्षेत्र का आनुपातिक आधार पर जमीन मालिक को 50 प्रतिशत सुपुर्द कर देंगे (प्रत्येक कोटि के घरों/फ्लैटों पर अर्थात् वे फ्लैट जो उक्त विकसित और निर्मित इमारत के प्रमुख अंग होंगे जो डेवेलपर या उनके नामित को आनुपातिक रुप से उनको 50 प्रतिशत हिस्सा के भागीदार होंगे, साथ ही साथ इस श्रेणी की तकनीकी जरुरतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण प्रथम कोटि का होगा।

नक्शा स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण होने पर मंजिलों में बढ़ोतरी का संशोधित नक्शा यदि अनुमोदित होता है तो वैसी स्थति में निर्माण कार्य विकाशक द्वारा पूर्ण करने पर उपर्युक्त अंकित अनुपातिक हिस्से के लिए जमीन मालिक भी हकदार होंगे। और उसी अनुपात में क्रेताओं का प्रति फ्लैट अनुपातिक जमीन में हिस्सा बदल जायेगा।

17. यह कि डेवेलपर को उक्त जमीन के उन्नयन का अधिकार होगा जिसका उन्नयन वे उस पर इमारत/फ्लैट बनाकर, कार पार्किंग स्थान और अन्यान्य tenements के द्वारा जो पी.एम.सी./दानापुर नगर परिषद और/अथवा अन्य संबंधित प्राधिकार से स्वीकृत नक्शा की शर्तो और बंधेजों के अनुसार करेंगे अथवा उक्त उद्देश्य के लिए जमीन मालिक डेवेलपर को जरुरत पड़े तो वैसे सभी कार्य (acts, deeds, matters) को करने के लिए डेवेलपर को अधिकृत करते हैं जिसमें खास बातें निम्नवत हैं

GRIH VATIKA BUILDERS PVT. LTD.
Authorised Signatory

14/5/13

A. उक्त जमीन पर संबंधित प्राधिकार के नियमों एवं परिनियमों के अनुसार जमीन मालिक के नाम में प्रस्तावित इमारत की योजना बनाना और स्वीकृति के लिए आवेदन तैयार करना, कानूनी कदमों, वचनबद्धता सम्बन्धी कागजात तैयार करना, हस्ताक्षर करना तथा परियोजना की स्वीकृति के लिए उन्हें जमा करना।

B. इमारत तथा परियोजना के लिए सर्वेयर, इंजीनियर, ठेकेदार, मजदूर और अन्य लोगों की नियुक्त करना।

C. पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन करना तथा सिमेंट, लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए सरकारी कोटा के परमिट के लिए आवेदन करना।

D. किसी भी याचिका (writ) नोटिस या अन्य कानूनी प्रक्रिया प्राप्त करना और जमीन मालिक की ओर से न्यायालय में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट tribunal या अन्य के समक्ष उपस्थित होना साथ ही किसी न्यायालय सरकारी अधिकारी या tribunal के समक्ष उक्त सम्पत्ति से संबंधित किसी मामले, मुकदमें में उपस्थित होना, बचाव करना, मुकदमा दायर करना, सभी आवश्यक कागजात पेश करना एवं वकालतनामा दायर करना। ये सभी काम डेवेलपर अपने खर्च पर करेंगे।

F. उपर्युक्त कथनानुसार उक्त इमारत एवं फ्लैट आदि को स्वामित्व अथवा अन्य आधार पर डेवेलपर के हिस्से से देना और उसका असिम अथवा बिक्री मूल्य का हिसाब रखना बशर्ते कि ऐसी प्राप्तियाँ सदैव डेवेलपर द्वारा उक्त जमीन के केवल विकास और निर्माण के लिए उपयोग की जाएंगी तथा सदैव इस शर्त के साथ कि डेवेलपर इसकी सुपुर्तगी नही करेंगे अथवा निर्मित क्षेत्र में अपना हिस्सा खत्म नहीं करेंगे जब तक कि जमीन मालिक को मिलने वाला सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र पूर्ण रुप से ~~उन्हें सुपुर्द नहीं कर दिया~~ जाता है।

G. इमारत कम्पलेक्स में फ्लैट/tenements आदि खरीदने वालों को अपने फ्लैट/tenements के एवज में आर्थिक संस्थाओं से ऋण लेने के लिए डेवेलपर को इमारत में अपना हिस्सा बंधक रखना।

GRIH VATIKA

H. डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे अपने 50 प्रतिशत हिस्से को सीधे अथवा सहकारी समितियों द्वारा बेचने, आवंटित करें और उनके पक्ष में खरीदारों के नाम विक्रय पत्र निष्पादित करें।

I. जमीन मालिक ने स्वीकार किया है कि यदि डेवेलपर उक्त परियोजना से सटे या उसके आस-पास की जमीन पर कोई दूसरी परियोजना का विस्तार करें तो उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी बशर्ते उसका रास्ता कॉरपोरेट इन्कलेव से न हो।

J. डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे पूर्वोक्त जमीन का उन्नयन उस पर एक या अनेक भवन,फ्लैट, पार्किंग स्थान और अन्य tenements इमारत के नक्शे के अनुसार बनाकर करेंगे और उन्हें बेचेंगे अपने 50 प्रतिशत हिस्से आवंटित करेंगे अथवा निरस्त करेंगे जैसी जरुरत हो, वैसी करेंगे, ऐसा अधिकार उन्हें "डेवेलपर क्षेत्र" के निर्माण पर होगा जिसे वे जिसे उचित समझें बेचें और ऐसे फ्लैट इकाइयों/tenements पार्किंग स्थान का मूल्य वसूलें और अपने खाते में अपने लिए रखें।

K. पूर्वोक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत के लिए योजना को संबंधित प्राधिकार के नियमों के अन्तर्गत तैयार कर इसे पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार/सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत कराने के लिए आवेदन तथा बचनबद्धताओं को अगर डेवेलपर चाहे तो जमीन मालिक ऐसे सभी आवश्यक योजनाओं, विशिष्टियों, घोषणाओं, शपथ पत्रों और अन्य कानूनी अथवा statutory कागजातों को **पी.एम.सी.** अन्य अधिकारियों से स्वीकृत कराने के लिए हस्ताक्षर करने पर सहमत हैं।

18. यह कि जमीन मालिक घोषणा करते हैं :-

(i). कि जमीन मालिक को उक्त जमीन से संबंधित इसके अधिग्रहण या अधियाचना के लिए कोई नोटिस या अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है और उन्हें इसका उन्नयन करने या कराने के लिए अधिकार है।

(ii). कि उक्त जमीन से संबंधित इस जमीन या इसके किसी हिस्से पर कोई दावा, मांग, निषेधाज्ञा या संलग्नता किसी करारोपन अधिकारी, राजस्व अधिकारी या सरकार

GRIH VATIKA PVT. LTD.

अथवा स्थायी निकायों या अधिकारियों द्वारा नहीं है।

(iii). कि उक्त जमीन से संबंधित कोई मनोबंध या व्यवस्था नहीं चल रहा है और अगर डेवेलपर को किसी ऐसे व्यवस्था का पता चले तो डेवेलपर को यह मनोबंध रद्द करने और इसका पूरा खर्च बैंक दर पर सूद के साथ जमीन मालिक से वसूल करने का अधिकार होगा।

(iv). कि जमीन मालिक के अलावा उक्त जमीन पर और किसी का कोई अधिकार, हिस्सा या हक नहीं है और जमीन मालिक किसी बेनामी जमीन मालिक के बेनामीदार नहीं हैं।

(v). कि जमीन मालिक ने घोषणा की है कि उक्त जमीन पर कोई दायित्व या अवभार नहीं है और अगर उस पर कोई झूठा दावा करता है तो जमीन मालिक ऐसे दावे को अपने खर्चे पर चुनौती देंगे।

(vi). कि उक्त जमीन के अधिकार से संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और कोई भी शुल्क या कर इस विलेख के लिखे जाने तक बाकी नहीं है और अगर इसके पूर्व का कोई टैक्स या शुल्क बकाया हो तो जमीन मालिक उसका भुगतान करेंगे।

(vii).कि जमीन मालिक उक्त जमीन के हस्तांतरण, अंतरण के उद्देश्य से मनोबंध हो जाने के बाद प्रस्तावित इमारत में डेवेलपर सहित किसी समिति के हिस्से को सौंप देंगे और जमीन मालिक बचनबद्ध है कि वे पूर्वोक्त घोषणाओं के विरुद्ध कोई काम या कार्रवाई नही करेंगे।

(viii).कि जमीन मालिक को उन्नयनकृत संपत्ति में अपने हिस्से को बेचने, पट्टा पर देने अथवा निवटान करने का अधिकार होगा।

19. उचित अधिकार सहित इन प्रावधानों (presents) के अन्तर्गत डेवेलपर निर्मित भवन में कम से कम भू-तल्ला के संरचना कार्य की पूर्णता के बाद जमीन मालिक और इमारत में उनके हिस्से की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए डेवेलपर अपना हिस्सा बंधक रख

GAUR KATIKA HOMES PVT. LTD.

DIRECTOR

सकते है बशर्ते ऐसा ऋण अथवा उधार डेवेलपर इमारत के अपने हिस्से की जमानत पर लेंगे और यह परियोजना के उन्नयन और जमीन मालिक की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार इमारत के निर्माण में लगाया जाएगा। जमीन मालिक को ऐसे खातों, उधारों और आवेदनों को जांच करने का अधिकार होगा।

20. इस उन्नयन मनोबंध की शर्तों के अनुपालन के साथ दोनों पक्षों के बीच यह स्पष्ट सहमति हुई है कि डेवलेपर इमारत कम्पलेक्स में निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत बिक्री योग्य हिस्से को डेवेलपर उनके नामित के पक्ष में उक्त ढंग से हस्तांतरिक करने के लिए डेवलपर सभी कदम उठाएंगे एवं सम्पूर्ण खर्च का वहन करेंगे।

21. डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन ***''कॉरपोरेट इन्कलेव''*** के नाम से करेंगे और भवन निर्माता तथा जमीन मालिक का हिस्सा सहित सम्पूर्ण इमारत का नाम ***''कॉरपोरेट इन्कलेव''*** होगा और पार्किंग स्थान सहित सारा निर्माण खर्च केवल डेवेलपर द्वारा वहन किया जाएगा तथा केवल डेवेलपर ही सरकार, **पी.एम.सी.** एवं अन्य अधिकारियों के प्रति इस जमीन के उन्नयन के लिए जवाब देय होंगे।

22. जमीन मालिक अपनी सहमति और वचनबद्धता व्यक्त करते है कि वे डेवेलपर के पक्ष में इस मनोबंध की शर्तो एवं बंधेजों के अनुरुप उक्त जमीन के उन्नयन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य करने के लिए जमीन मालिक की ओर से विकासक को प्राधिकृत करते है जो अपने हिस्से की जमीन बिक्री के निमित इकरारनामा इत्यादि निष्पादित करेंगे।

23. इस उन्नयन मनोबंध के तथा इससे संबंधित सभी जेब खर्च, शुल्क, कानूनी खर्च जिसमें हस्तांतरण का स्टाम्प खर्च और निबंधन खर्च शामिल है, डेवेलपर या उनके नामिनों द्वारा वहन किया जाएगा।

24. **पी.एम.सी. (पटना नगर निगम)** द्वारा इमारत की योजना की स्वीकृति से छः महीने की कृपा अवधि के अन्तर्गत अगर डेवेलपर इमारत के निर्माण में

असफल हो जाते है अथवा जमीन मालिक को विक्री योग्य निर्मित क्षेत्र सुपुर्द करने में (चूंकि समय सीमा इस मनोबंध का प्रमुख अंग है) असमर्थ रहते है वैसे किसी दैवी कारण या नियंत्रण के बाहर प्राकृतिक विपति को छोड़कर जो इस निर्माण को प्रभावित करता है, वैसी हालत में पूर्वोक्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत इमारत को पुरा न करने के कारण डेवेलपर को आपसी सहमति से आगे की कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

25. इस मनोबंध की शर्तों के अनुसार उक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत में विक्री योग्य निर्मित क्षेत्र पर अधिकार एवं हित के अतिरिक्त जमीन मालिक को परम निर्मित क्षेत्र यथा, सीढ़ी घर, रास्ता, लिफ्ट, पानी की टंकी, जेनरेटर कमरा, खुली जगह, वाहन पार्किंग स्थान और सभी सामूहिक क्षेत्र पर भी जमीन मालिक को अधिकार होगा।

26. डेवेलपर **पी.एम.सी.** के नियम, परिनियम और कानूनों का दृढ़ता से पालन करेंगे और सर्वदा किसी क्षति, दावा, मांग जो नियमों और कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न हो उससे जमीन मालिक को क्षतिपूर्ति करायेंगे।

27. इमारत की योजना में डेवलेपर सभी सामोन्य (Civil), बिजली, plumbing and sanitory कार्यो जिसमें भूमिगत एवं उपरी टंकी, पानी व्यवस्था, नल पम्प, गृह सेवा आदि शामिल है वे **पी.एम.सी.** की स्वीकृत योजना के अनुसार शामिल होगा।

28. उक्त "*कॉरपोरेट इन्कलेव*" इमारत या परिसर में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति या डेवेलपर पर किसी कार्य के चलते किसी व्यक्ति या प्राधिकार को देय किसी नुकसान, दावा,क्षतिपूर्ति के लिए डेवेलपर जमीन मालिक को पूरी तरह क्षतिपूर्ति करेंगे और जमीन मालिक किसी भी तरह का भुगतान करने, मजदूर क्षतिपूर्ति कानून अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी घटना से संबंधित मुकदमें में बचाव करने के लिए जवाबदेह नही होंगे।

GRIH VATIKA HOMES PVT LTD.

29. प्रस्तावित इमारत पी.एम.सी. द्वारा स्वीकृत हो रहे वास्तुशिल्प की विशिष्टियों के अनुसार निर्मित होगी।

यह की लेख्य प्लौट से संबंधित जरुरी कार्यों के लिए जमीन मालिक ही प्राधिकृत है क्योंकि अपने परिवार में कर्ता की हैसियत से वरिय सदस्य होने के नाते परिवार के हित में आवश्यक कानूनी खर्चों की पूर्ति हेतु नियमानुकुल प्राधिकृत है।

अनुसूची-I

वह आवासीय परती जमीन जो मौजा- विशुनपुर, सर्वे थाना- फुलवारीशरफ, सम्प्रति थाना बेउर, जिला- पटना के थाना नं. 31 (इक्कतीस), तौजी नं. 5075 (पांच हजार पचहत्तर), खाता नं. 57 (संतावन), सर्वे प्लौट नं. 277 (दो सौ सत्तहत्तर), एराजी 6 कट्ठा 7 धुर है जो 19.734 डिसमील के समतुल्य है, जिसकी चौहद्दी निम्नवत है :-

चौहद्दी

उत्तर :- श्री रविशंकर सिंह
दक्षिण : श्री महेन्द्र कुमार सिंह
पूरब :- सड़क (क-ख)
पश्चिम :- श्री बिनोद कुमार सिंह

नोट :- उपर्युक्त सम्पति वर्ष 2012-13 के न्युनतम दर पंजी के कोड नं. 565 पर अंकित है, जिसका वर्त्तमान बाजार मूल्य रु. 1,08,54,000/- (एक करोड़ आठ लाख चौवन हजार) रूपया है।

अनुसूची II

जमीन मालिक के क्षेत्र का संक्षिप्त वास्तुशास्त्रीय एवं ढांचागत विवरण।

ढांचा :- पी.आर.डी.ए.(विघटित)/पी.एम.सी. द्वारा स्वीकृत आर.सी.सी. फ्रेम ढांचा।

civil कार्य :- पी.आर.डी.ए.(विघटित)/पी.एम.सी. द्वारा स्वीकृत प्रथम कोटि का सिमेंट, (ए.सी.सी.) सोन बालू एवं मसाला, टाटा टीएमटी, प्रथम श्रेणी का ईट

परिसज्जा :- जमीन मालिक के हिस्से की सभी दीवारें बहरी तथा भीतरी छत में बाल पुट्टी का प्रथम सतह एवं बाहर की दीवारें बिड़ला पुट्टी होगी।

दरवाजे :- दरवाजे का ढांचा लकड़ी (सखुआ) का तथा मुख्य दरवाजे

GBIH VATIKA HOMES PVT. LTD.

पर लकड़ी (सखुआ) का चौखट तथा दरवाजे का पल्ला प्लाई बोर्ड 30 एमएम का का होगा और उस पर दो तह सिन्थेटिक इनैमेल पेंट वाटर प्रुफ होगा पेन्ट की गुणवत्ता साधारण से नीचे का नही होगा।

खिड़कियाँ :- जमीन मालिक के अनुसार या लकड़ी के (सखुआ) के फ्रेम में आधा glazed खिड़कियाँ।

फर्श :- संगमरमर या जौनसन या कजरीया का टाइल्स ग्रे सिमेंट में फ्लैट के अन्दर समस्त फर्श क्षेत्र में।

शौचालय :- मुख्य शयन कक्ष से जुड़े एक शौचालय में गर्म पानी का नल, सफेद glazed टाइल्स 7' की उँचाई तक सभी शौचालय का साजोसमान ISI ब्राण्ड का उपयोग होगा। किचेन एवं बाथरुम का जमीन संगमरमर का होगा।

रसोई घर :- ग्रेनाईट का कार्यकारी platform तथा स्टील का सिंक, कार्यकारी platform से 24'' उँचा रंगीन glazed टाइल्स।

बालकोनी :- प्रथम कोटी फ्लोर टाईल्स

बिजली व्यवस्था:- मानक बिजली सामग्री के साथ concealed पी.वी.सी. तार हैवल्स या एन्कर का conduit wiring मुख्य शयन कक्ष में A.C. प्वाईंट।

उपयुक्त specifications में promoters/architect द्वारा निर्णित कुछ फेर बदल संभव है। जमीन मालिक गुणवत्ता, मात्रा कम्पनी का निर्णय करेंगे।

अतिरिक्त सुविधायें:- मुख्य दरवाजे पर नेम प्लेट प्रति फ्लैट, लेटर बॉक्स, नेम प्लेट डाईरेक्ट्री, कैम्पस में सी.सी, टी.वी. कैमरा।

अनुसूची-III

अन्य विशेष सुविधायें जो विकासकर्त्ता द्वारा दिये जायेंगे:-

1. बैठकखाने में एक TV तथा इंटरकॉम का प्वाइंट।
2. चौबीसो घंटे अपने ट्यूबवेल से जुड़े सामूहिक उपरी टंकी से पानी की व्यवस्था।
3. अतिरिक्त खर्च पर सामूहिक ध्वनी रहित जनरेटर।
4. बैठकखाने में एक टेलीफोन प्वाइंट (कनेक्शन नहीं)
5. फ्लैट के अन्दर concealed बिजली जिसमें ताँबे का तार होगा।
6. ब्राण्डेड पैसेन्जर लिफ्ट, पावर बैकअप लिफ्ट, वाटर पम्प, कॉमन एरिया एवं हर फ्लैट में 500 वाट दिया जायेगा।
7. जॉगिंग ट्रैक, कॉमन गेस्ट रूम (अतिथिशाला) एवं कॉमन कार पार्किंग।

यह कि यह करारनामा अपनी पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति में सोच-समझकर निम्नलिखित गवाहों के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे।

गवाहगण:-

1. माणि शंकर पिता :- श्री लाल बहादुर सिंह
पता :- A/13 श्री राम पुरम सारनाथ
उम्र :- [illegible]
व्यवसाय :- [illegible]
थाना :- जी० पी० ओ०
जिला :- पटना

Mani Shankar
14/5/13

2. Niraj Pandey
S/o Shri Awadhesh Pandey
Qr2 Mirambika appt
Boring Rd - Patna

Nishant Kr Singh 14-5-13

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

श्री अनिल कुमार [illegible]
वा० माणि शंकर 14/5/13

Durga Narayan
22 3/04 Adv. 14/5/13

मुद्रित किया:-

(मुकेश प्रसाद)
समाहरणालय अधिवक्ता संघ,
पटना।

जमीन मालिक के निदेश एवं विकासक की सहमती पर प्रारुप तैयार किया।

Endorsement of Certificate of Admissibility

Under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian ct, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

mp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 218500/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 0/-
dl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 219304/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	0	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	250	J1	0	K2	0	Na	54
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
								TOTAL-	304

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 804

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	500
Proc.Fee	0	
Total	0	

Registering Officer
Patna

Date: 14/05/2013

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Tuesday, 14th May 2013 by Anil Kumar Singh S/O-Late Rameshwar Prasad Singh by profession Others. Status - Executant

14/5/13

T.I. of Presentant **Date:14/05/2013**

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Mani Shankar' age '35' M', 'S./O-Lal Bahadur Singh', resident of 'Gardanibagh,patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints nd Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Patna

ate : 14/05/2013

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

gistered at Registration Office Patna in Book 1 Volume No. 366 on pages on 409 -426 , for the year 2013 and ored in CD volume No. CD-57 year 2013 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Patna

te : 14/05/2013

en No. : 18038 Year : 2013 S.No. : 17384 SCORE Ver.3.0 Deed No . : 16800

जमा पर्ची/Pay-in-slip नकद/अंतरण/CASH/TRANSFER

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

शाखा/Branch

दिनांक/Date 13/5/2013

खाते का प्रकार : बचत बैंक/चालू खाता/आवर्ती जमा/केश केडिट खाता/सावधि ऋण खाता सं०/Type of Account : SB/CA/RD/CC/DL/TL A/C. No.

		6	4	9	2	5	8	0	4	2	

के बैंक खाते में जमा करने हेतु/For the credit of the Bank Account of Patna Scale

नकद/चेकों के विवरण/पर्ची की दूसरी ओर/ Details of Cash/Cheques/Overleaf	रुपए Amount Rs.	पै./P
खाते में नकद जमा Cash Deposit in the account		
कुल नकद Total Cash	500	
कुल जमा Total Deposit		
रुपये (शब्दों में) Rupees (in words) Five hundred only		

(कार्यालय उपयोग हेतु FOR OFFICE USE)

एस.एच.ओ./SWO | शाखा अधिकारी/पासकर्ता अधिकारी Cash Officer/Passing Officer

CBS 503 - 2005/04 ORIGINAL

चतुर्थ प्रति
(जमाकर्त्ता कार्यालय हेतु)

बिहार सरकार
निबंधन विभाग

गैर मानक

दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किए जाने वाले स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क एवं मुखतारनामा के निबंधन शुल्क के भुगतान के लिए बैंक चालान

1. पदाधिकार का नाम/पता M/S SHRI VRINDA HOMES PVT. LTD (जिसकी ओर से जमा किया जा रहा है) 3rd floor, Mangal Tower, Boring Road, Patna-1
2. दस्तावेज का प्रकार Power of Attorney / Registration
3. निबंधन कार्यालय Patna Sadar / D.S.R. Patna
4. बैंक का नाम एवं शाखा SBI main Branch / Boring road Patna
5. भुगतान की जानेवाली राशि का विवरण

क्र०सं०	भुगतान का मद एवं शीर्ष	रकम
(क)	स्टाम्प शुल्क-मुख शीर्ष 0030-स्टाम्प एवं रजिस्ट्रीकरण 00-मुख शीर्ष 02-स्टाम्प शुल्क, 00 रजिस्ट्रीकरण शुल्क, 00 रजिस्ट्रीकरण शुल्क-34 शीर्ष 0001, प्रत्यर्पित प्राधिकार इकाई-7545 भूमि निबंधन शुल्क से आय विपत्र कोड R0030021030001	2,18,500-00
(ख)	निबंधन शुल्क-मुख शीर्ष 0030 स्टाम्प एवं रजिस्ट्रीकरण शुल्क 00 मुद्रण शीर्ष 03 पंजीकरण शुल्क, लघु शीर्ष 104 रजिस्ट्रीकरण शुल्क पंजीकरण शुल्क-34 शीर्ष 0001, प्रत्यर्पित प्राधिकार इकाई-7545 भूमि निबंधन शुल्क से आय विपत्र कोड R0030031040001	250-00 54-00 304-00
(ग)	फुटकर शुल्क-मुख शीर्ष 0029 भू राजस्व लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियाँ-00 शीर्ष 0006 अन्य मदें प्राथमिक इकाई-7549 भूमि निबंधन शुल्क से आय विपत्र कोड R0029008000006	/
	भुगतान का माध्यम : नगद/चेक/ड्राफ्ट कुल राशि शब्दों में Two Lac Eighteen Thousand Eight hundred four only कुल योग	2,18,804-00

स्थान Patna जमाकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर Krishna Sinha
तारीख 13/5/13

चेक/ड्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित कर दें।

चेक/ड्राफ्ट की राशि प्राप्त होने के पश्चात ही पत्र जारी होगी।

FOR USE OF THE BANK

स्क्रॉल नं०..... तारीख.....
सेक्शन 05 में दिए गये विवरण के अनुसार ₹ ..... जमा किया।
शब्दों में.....

प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

निबंधन शुल्क जमा करने का विवरण

राशि ₹० ..... शब्दों में..... एजेंसी लेटर नं० :
जमा करने की तिथि :
बैंक स्क्रॉल सं०

बैंक की प्राप्ति एवं मुहर

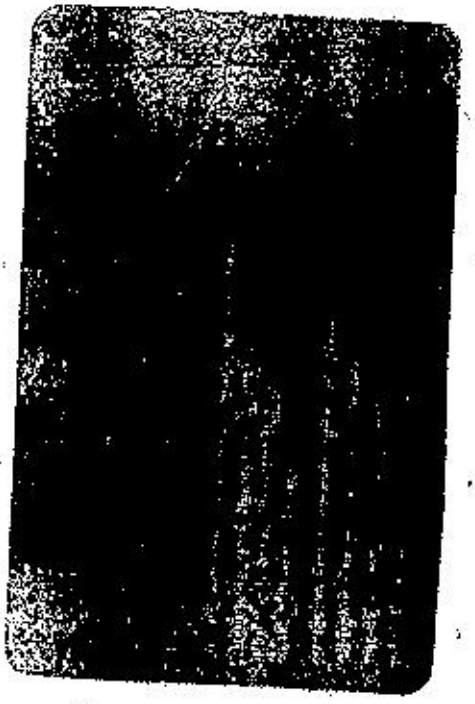

નામ:- શ્રી લાલાભાઈ

પતા:- A/3 શ્રી રામ પાર્ક, સારંગપુર

નામ:- દુકાન માલિક

ગામ:- ડાકોરધામ

પોસ્ટ:- બી૦ પી૦ ઓ૦

જિલ્લો:- પટેલનો